आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आपूर्ति अपील वाद सं0-48/2022

कुमारी नीतू उर्फ नीतू देवी.....अपीलकर्त्ता

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य.....विपक्षीगण

05.04.2024

आदेश

प्रस्तुत आपूर्ति अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 17696/2021 में दिनांक 09.03.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर दायर लाया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित हैः-

"....In case the petitioner files representation/revision before the concerned Divisional Commissioner within four weeks from today, the same shall be considered on merit and disposed of within a period of eight weeks thereafter.

Accordingly, the present writ petition stands disposed of as withdrawn with liberty aforesaid."

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि वर्ष 2018 में समाहरणालय, गोपालगंज द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों के अनुज्ञप्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन की मांग हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया। इस क्रम में अनुमंडल, गोपालगंज सदर अन्तर्गत प्रखंड कुचायकोट, पंचायत-अहिरौली दुबौली, आरक्षण कोटि-अनारक्षित(महिला), रोस्टर बिन्दु-627 के लिए वर्तमान अपीलार्थी, विपक्षी सं0-03 कुमारी शिखा राय, पिता-दिग्विजय राय एवं विपक्षी सं0-03 कुमारी शिखा राय की माता मंजू राय, पति-दिग्विजय राय द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्राप्त आवेदन के आधार पर तैयार औपबंधिक मेधा सूची एवं अस्वीकृत आवेदन पत्रों की सूची का प्रकाशन कर उक्त के संबंध में दावा/आपत्ति की मांग की गयी। प्राप्त दावा/आपत्ति की सुनवाई एवं निष्पादन के पश्चात अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया। अंतिम वरीयता के क्र0 सं0-01 पर विपक्षी सं0-03, कुमारी शिखा राय, पिता-दिग्विजय राय, क्र0 सं0-02 पर कुमारी नीतू, पति-राकेश कुमार राय एवं क्र0 सं0-03 पर मंजु राय, पति-दिग्विजय राय को रखा गया। अंतिम वरीयता सूची के क्र0 सं0-01 पर रहने के आधार पर विपक्षी सं0-03 कुमारी शिखा राय के पक्ष में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा की गयी। उक्त से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष C.W.J.C. No. 17696/2021 दायर किया गया, जिसके दिनांक 09.03.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में वाद की सुनवाई इस स्तर पर की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। विपक्षी सं0-03, शिखा राय को नोटिश तामिला का प्रतिवेदन अभिलेख पर उपलब्ध है। नोटिश तामिला के बावजूद

Scanned with CamScanner

विपक्षी सं0–03 द्वारा स्वयं अथवा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष नहीं रखा गया है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि विपक्षी सं0–03, श्रीमती शिखा राय पति–मनोरंजन कुमार का विवाह वर्ष 2017 में हुआ है। उनके पिता–मार्कण्डेय राय शर्मा, पैक्स अध्यक्ष है तथा उनकी सास जिला परिषद सदस्या है। परंतु वर्ष 2018 में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उनके द्वारा ससुराल से संबंधित तथ्यों को छुपाते हुए आवेदन किया गया है। इस क्रम में उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी सं0–03 के परिवार में पूर्व से एक पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति निर्गत है। ऐसे में विपक्षी सं0–03 के पक्ष में पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाना नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उक्त बिन्दुओं पर संबंधित प्राधिकार के समक्ष आपत्ति भी प्रस्तुत किया गया था परंतु चयन समिति द्वारा उस पर समुचित रूप से विचार नहीं किया गया है तथा त्रुटियुक्त तरीके से विपक्षी सं0–03 के पक्ष में पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति की अनुशंसा की गयी है।

उक्त के आधार पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु विपक्षी सं0–03 के चयन को रद्द किया जाय तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा वाद के बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016** में वर्णित प्रावधानों, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1222/खा0, दिनांक 08.03.2017, पत्रांक–1571/खा0, दिनांक 28.03.2017 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–963, दिनांक 20.01.2016 एवं परिपत्र सं0–2342, दिनांक 15.02.2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में गोपालगंज जिला अन्तर्गत प्रखंड–कुचायकोट, पंचायत–अहिरौली दुबौली, आरक्षण कोटि–अनारक्षित (महिला), रोस्टर बिन्दु–627 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों के आधार पर औपबंधिक मेधा सूची का निर्माण किया गया तथा मेधा सूची का प्रकाशन कर उक्त के संबंध में दावा/आपत्ति की मांग दिनांक 14.12.2019 से 30.12.2019 तक की गयी। प्राप्त दावा/आपत्ति के बिन्दु पर संबंधितों को सूचित करते हुए दिनांक 16.01.2020 को उभय पक्षों को सुना गया।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आगे बताया गया कि दावा/आपत्ति की सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी द्वारा आपत्ति दिया गया कि क्र0 सं0–01 पर अंकित शिखा राय के पिता–कृषि सलाहकार के पद पर कार्यरत है। क्र0 सं0–03 पर अंकित मंजू राय, क्र0 सं0–01 पर अंकित शिखा राय की माँ है। साथ ही क्र0 सं0–01 पर अंकित शिखा राय के ससुर पैक्स अध्यक्ष एवं सास जिला परिषद सदस्या है। उनके द्वारा आगे बताया गया कि दावा आपत्ति के क्रम में विपक्षी सं0–03, शिखा

Scanned with CamScanner

राय का अंकित पक्ष है कि उनके पिता कोई सरकारी कर्मी नहीं है एवं विज्ञापन में ऐसा कोई नियम एवं शर्त नहीं था कि माँ एवं बेटी एक साथ आवेदन नहीं कर सकती है। विपक्षी का आगे कथन है कि वे मायके में ही रहकर पढ़ाई लिखाई करती है और उनके स्थायी पता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उनके द्वारा कहा गया है कि उनके पति–सरकारी कर्मी नहीं है। दावा आपत्ति निष्पादन के क्रम में विपक्षी सं0–03 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनके ससुर पैक्स अध्यक्ष एवं सास जिला परिषद सदस्या है।

6. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आगे बताया गया कि इस स्तर पर सुनवाई के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज सदर द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पत्रांक–2771, दिनांक 22.09.2023 में अंकित है कि विपक्षी सं0–03 का मायका एवं ससुराल एक ही पंचायत–अहिरौली–दुबौली के अन्तर्गत आता है। विपक्षी के परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के नाम से पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं है। विपक्षी के ससुर मारकण्डेय राय शर्मा अहिरौली–दुबौली के पैक्स अध्यक्ष है। पैक्स अहिरौली–दुबौली के नाम से जन वितरण प्रणाली दुकान का अनुज्ञप्ति निर्गत है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। विपक्षी सं0–03, श्रीमती शिखा राय, पति–श्री मनोरंजन कुमार द्वारा नोटिश तामिला के बावजूद अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया है। निम्न न्यायालीय अभिलेख पर उपलब्ध दिनांक 16.01.2020 को दावा–आपत्ति के क्रम में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत पक्ष का अवलोकन किया गया।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा वाद से संबंधित तथ्य एवं विपक्षी द्वारा दावा आपत्ति के निष्पादन के क्रम में प्रस्तुत पक्ष के अवलोकन में निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आते हैः–

(i) विपक्षी सं0–03, श्रीमती शिखा राय द्वारा दावा आपत्ति निष्पादन के क्रम में स्वीकार किया गया है कि उनके ससुर पैक्स अध्यक्ष एवं सास जिला परिषद् सदस्या है। अभिलेख पर उपलब्ध अनुमंडल कार्यालय गोपालगंज सदर अन्तर्गत पंचायत–अहिरौली–दुबौली, रोस्टर बिन्दु 627 से संबंधित दावा–आपत्ति कार्यवाही प्रतिवेदन में अंकित है कि *"उपरोक्त सभी आपत्ति में आवेदिका स्वयं नियोजित नहीं है तथा स्वयं जनप्रतिनिधि नही है। अतः सभी आपत्ति बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण संशोधन आदेश–2016 में निहित प्रावधानों के विपरीत है। अतः आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है।"*

(ii) अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक–2771, दिनांक 2.09.2023 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन में स्पष्ट अंकित है कि *"अनुज्ञप्तिधारक के परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं है। अनुज्ञप्तिधारक के ससुर, मारकण्डेय राय*

Scanned with CamScanner

शर्मा अहिरौली-दुबौली के पैक्स अध्यक्ष एवं मृत्युजंय राय पैक्स प्रबंधक/संचालक है। पैक्स अहिरौली-दुबौली के नाम से जन वितरण प्रणाली दुकान का अनुज्ञप्ति निर्गत है।''

अतः यह स्पष्ट है कि जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति विपक्षी सं0-03, कुमारी शिखा राय के ससुर के नाम से निर्गत नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज के प्रतिवेदन में उनके परिवार में अन्य किसी सदस्य को पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति प्राप्त रहने की पुष्टि नहीं हो पाती है।

(iii) विपक्षी स्वयं किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं रही है। ऐसी स्थिति में **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 11(i)(ii) एवं (vi)** में अंकित प्रावधान उन पर लागू नहीं होते है।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से प्रश्नगत रोस्टर बिन्दु पर नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु विपक्षी सं0-03, कुमारी शिखा राय के चयन को त्रुटिरहित पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत अपीलवाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with CamScanner